सं. आई-27011/2/2017-समन्वय

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 10 **अक्तूबर, 2017**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सितंबर, 2017 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार के अवर सचिव

दूरभाषः 23389622

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का सितंबर, 2017 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

भारत सरकार का अवर सचिव

ितंबर, 2017 माह के दौरान लिए गए महत्वूपूर्ण नीतिगत निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

1. परिपत्रः

(i) दिनांक 05.09.2017 को परिपत्र संख्या 09/2017 जारी किया गया जिसमें कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए संयुक्त उद्यम शब्द की परिभाषा को स्पष्ट किया गया। उक्त परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि "संयुक्त उद्यम" का अर्थ ऐसी संयुक्त व्यवस्था से होगा जो लिखित रूप में की जाए और जिसमें व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों का व्यवस्था की निवल आस्तियों पर अधिकार होगा।

(ii) दिनांक 13.09.2017 को परिपत्र संख्या 10/2017 जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई नियंत्री कंपनी इंडएएस के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट क्षेत्र की रूपरेखा में कवर होती है तो वह कंपनी कारपोरेट क्षेत्र रूपरेखा का अनुपालन करेगी और यदि उस कंपनी का अनुषंगी के रूप में भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक हैं तो अनुषंगी कंपनी 11 फरवरी, 2016 के आरबीआई परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 76/21.07.001/2015-16 के माध्यम से विहित बैंककारी क्षेत्र की रूपरेखा का इस शर्त के अधीन अनुपालन करेगी कि भुगतान बैंक या लघु वित्त बैंक समेकन के प्रयोजनों हेतु अपनी नियंत्री कंपनी को इंडएएस वित्तीय आंकड़ें उपलब्ध कराएंगे।

(iii) दिनांक 27.09.2017 को एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी (जमा की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2017 के माध्यम से संशोधित किया गया प्ररूप डीपीटी-3 नवंबर, 2017 के बाद ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध होगा और तब तक शेयरधारक वर्तमान डीपीटी-3 प्ररूप का प्रयोग कर सकेगें।

(iv) दिनांक 28.09.2017 को एक विभागीय परिपत्र संख्या 01/2017 जारी किया गया जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अधीन सरकारी कंपनियों को दी जाने वाली छूट पर स्पष्टीकरण दिया गया।

2. अधिसूचनाएं:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 435 के अधीन जारी दिनांक 31.08.2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.3085(अ) द्वारा इस मंत्रालय ने बिहार राज्य के लिए पटना में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालय नामित किया है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन दिनांक 06.09.2017 को जारी अधिसूचना का.आ. संख्या 2938(अ) द्वारा एनसीएलटी से शेयरपूंजी की कटौती के लिए आवेदन के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से नोटिस की प्राप्ति और उत्तर के लिए क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई।

(iii) कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए 19.09.2017 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1172(अ) जारी की गई जिसके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 के अधीन दी गई छूट को देखते हुए निम्नलिखित संशोधन किए गएः

(क) किसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्ट-अप है, को उसके निगमन की तारीख से 5 वर्ष के लिए या जो कुछ अन्य शर्तें पूरी करती हैं, को छूट प्रदान करने के लिए जमा नियमों के नियम 3(3) में संशोधन किया गया।

(ख) विहित आईएफसी पब्लिक कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां अपने सदस्यों से समादत्त शेयरपूंजी, खुली आरक्षिती और प्रतिभूति प्रीमियम लेखा के योग के अधिकतम 100% तक जमा स्वीकार कर सकती हैं।

(ग) प्ररूप डीपीटी-3 को संशोधित नियमों के अनुरूप बनाने के लिए परिवर्तित करना।

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (87) के परंतुक को प्रवृत्त करने के लिए 20.09.2017 को अधिसूचना का.आ. संख्या 3086(अ) जारी की गई। इस परंतुक में नियंत्री कंपनियों की श्रेणी/श्रेणियों के लिए अनुषंगी कंपनियों के स्तरों हेतु प्रावधान किया गया।

(v) कंपनी (स्तरों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के लिए 20.09.2017 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1176(अ) जारी की गई जिसके द्वारा कतिपय श्रेणी की नियंत्री कंपनियों के लिए अनुषंगी कंपनियों के स्तरों की संख्या दो (पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के स्तर को छोड़कर) तक सीमित की गई।

(vi) दिनांक 20.09.2017 की अधिसूचना का.आ. संख्या 3085(अ) जारी की गई जिसके द्वारा भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष को राष्ट्रीय लेखा मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) में सदस्य के रूप में प्रतिस्थापित किया गया और एनएसीएएस का कार्यकाल एक वर्ष या एनएफआरए का गठन होने तक, इनमें से जो पहले हो, तक बढाने का प्रावधान किया गया।

(3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने मलेशियन एसोशिएसन ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज (एमएसीएस) का अनुरोध स्वीकार किया है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों को एमएसीएस के सचिवीय मानक तैयार करने में बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाए।